"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2006—आश्विन 5, शक 1928

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-4/खाद्य/2006/29.—भारत सरकार के उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग) के आदेश क्रमांक एस. ओ. 681 (ई) तारीख 30 नवबंर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ केरोसिन अनुज्ञापन आदेश, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में, —

1. खण्ड 6 के उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ख) "इस आदेश के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, पुनः जारी किए जाने या नवीनीकरण के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी और ऐसे व्यापारी जिन्हें यह अधिसूचना जारी होने के पूर्व खण्ड 5 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी होने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर शेष राशि जमा करना होगा."

(क) थोक विक्रेता और आंशिक थोक विक्रेता	(ख) फुटकर विक्रेता
(क) एक वर्ष के लिए : पांच हजार रुपए	(क) एक वर्ष के लिए : एक सौ रुपए
(ख) दो वर्ष के लिए : दस हजार रुपए	(ख) दो वर्ष के लिए : दो सौ रुपए
(ग) तीन वर्ष के लिए : बारह हजार रुपए	(ग) तीन वर्ष के लिए : दो सौ पचास रुपए

2. खण्ड 13 के उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यापारी उसे अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के पूर्व निम्नानुसार राशि अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास और ऐसे व्यापारी जिन्हें यह अधिसूचना जारी होने से पूर्व खण्ड 5 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी होने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर शेष राशि जमा करना होगा".

प्रतिभूति निक्षेप की रकम

थोक विक्रेता के लिए	:	एक लाख रुपए
आंशिक थोक विक्रेता के लिए	:	दस हजार रुपए
फुटकर विक्रेता के लिए	:	एक हजार रुपए

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 13-4/खाद्य/2006/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 सितंबर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, विशेष सचिव.

Raipur, the 27th September 2006

NOTIFICATION

No. F 13-4/food/2006/29.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the order of the Government of India, Ministry of Industry and Civil supplies , Department of Civil Supplies and Co-operation) order No. S.O. 681 (E) dated the 30th November, 1974 the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Kerosene Licensing order, 1979, namely :—

AMENDMENT

In the said order

1. For sub-clause (2) of clause 6, the following shall be substituted, namely :—

"The fee payable for the issue re-issue of renewal of a license under this order, shall be as under and a dealer to whom license has been issued under clause 5 prior to issue of this notification, has to deposit the balance amount within a period of one month from the date of notice issued by licensing authority".

(a)	Wholesaler and Semi Wholesaler			(b)	Retailer		
(a)	For one year	:	Rs. Five Thousand	(a)	For one year	:	Rs. one hundred
(b)	For two year	:	Rs. Ten Thousand	(b)	For two year	:	Rs. Two hundred
(c)	For three year	:	Rs. Twelve Thousand	(c)	for three year	:	Rs. two hundred fifty

2. For sub-clause (1), of clause 13, the following shall be substituted, namely :—

"Every dealer applying for license under this order shall, before the license is issued to him, deposit with the licensing authority security amount as under, and a dealer to whom license has been issued under cluase 5 prior to issue of this notification, has to deposit the balance amount within a period of one month from the date of notice issued by licensing authority."

SECURITY DEPOSIT AMOUNT

Wholesale Dealer	-	1 lakh rupees.
Partail Wholesale Dealer	-	10 thousand rupees.
Retail Sale	-	1 thousand rupees.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.